संख्या-14/2017/1844/78-2-2017-42आई टी/2017

प्रेषक

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई 2017

विषयः- मण्डल/जनपद स्तर पर समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने हेतु ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12-5-2017 द्वारा उ0प्र0 के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एनआईसी के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म https://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुये सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध (Running contract) एवं दर अनुबन्ध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (यूपीएलसी) को नोडल संस्था नामित किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-1627/78-2-2016-42आईटी/2017टीसी दिनांक 13-7-2017 के अनुपालन में प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण हेतु 03 माह के लिये एक-एक मास्टर ट्रेनर/ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षक की नियुक्ति यूपीएलसी द्वारा की गयी है, जिनके द्वारा मण्डलायुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार, मण्डलों/जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को, जुलाई 2017 माह के प्रथम सप्ताह से ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

3. विभागो में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना एक वृहद प्रक्रिया हैं एवं इसकी महत्ता के दृष्टिगत वृहद स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग एंव सेन्सेटाइजेशन की आवश्यकता है। उक्त के क्रम में, जनपद स्तर पर ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित कार्यवाहिया अपेक्षित है:-

I. प्रत्येक जनपद में ई-टेण्डरिंग प्रणाली से पूर्णतयः भिज्ञ 05 से 07 विशेषज्ञ ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षक/मास्टर ट्रेनर्स की उपलब्धता होनी चाहिए, जिनके द्वारा सम्बन्धित जनपद में आवश्यकतानुसार, अन्य शासकीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और साथ ही जनपद स्तर के अधिकारियों की ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित जिज्ञासाओं/ कठिनाईयों का विभागीय/जनपद स्तर पर निराकरण किया जा सकें। उक्त के दृष्टिगत अपने मण्डल के प्रत्येक जनपद से 05 से 07 ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो कम्प्यूटर कार्यो में रूचि रखते हो (Computer Savvy) को चिन्हित कर, संलग्न कार्यक्रम के अनुसार यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से एक दिवसीय विशेषज्ञ प्रशिक्षण, प्राप्त करने हेतु नामित करने का कष्ट करें। विशेषज्ञ प्रशिक्षण हेतु समय प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक होगा तथा उक्त प्रशिक्षण में एनआईसी, लखनऊ से विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी भी उपस्थित रहेगें। उक्त 5 से 7 अधिकारियों में जनपदो मे तैनात ई- डिस्टिक्ट मैनेजर्स को सम्मिलित करे। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्पर्क सूत्र श्री प्रवीण कुमार, उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी (0522-2286808, 09235567201) है।

II. प्रत्येक जनपद मे ई- डिस्ट्रिक्ट योजना अन्तर्गत एक कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी है। उक्त लैब् का उपयोग जनपदीय अधिकारियों को हैन्डस ऑन ट्रेनिंग दिये जाने के लिए उपयोग किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

III. एनआइसी द्वारा जनपदीय अधिकारियों को हैन्डस ऑन ट्रेनिंग दिये जाने के उद्देश्य से एक डमी पोर्टल http://demoeproc.nic.in भी विकसित किया गया है। जिसके यूजर आइडी एवं पासवर्ड सभी जिला सूचना विज्ञान अधिकारियो को प्रेषित किये जा चुके है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों के सहयोग से अधिक से अधिक अधिकारियों को हैन्डस ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

IV. ई-टेन्डरिंग लागू किये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत जनपदीय अधिकारियो के अतिरिक्त प्रोस्पेक्टिव बिडर्स / कोन्ट्रेक्टर्स के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

V. उक्त कार्य के सतत अनुश्रवण हेतु विकसित पोर्टल upetender-monitor.com पर प्रत्यके सप्ताह के अन्त में आवश्यक सूचनाए अपलोड किया जाना। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की होगी।

इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

सँख्या-14/2017/1844/78-2-2017तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ/चेन्नई।
5- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।